न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी का नाम – बृजेश गुप्ता (R.A.S.)
मुकदमा नम्बर – 64/2024 (64/2024)
किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र
दायर दिनांक – 28.05.2024 (28.05.2024)
निर्णय दिनांक – 28.01.2025

अनवान

1. नीलेश कुमार पिता नाथुलाल जी खटीक निवासी थोरिया तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द

......................प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजसमन्द जिला राजसमन्द, राजस्थान।

......................विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट
बाबत् नक्शे में पैमुदगी तथा दुरुस्ती हेतु

उपस्थित
अधिवक्ता प्रार्थीगण – श्री शेषमल गाडरी
विपक्षी – पेरोकार राज

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम सापोल पटवार हल्का सांगठ कला भु अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र फरारा तहसील राजसमन्द जिला राजसमंद में खाता संख्या नया 213 में वर्णित खसरा संख्या 1777, 1778, 3080/1575 कुल किता 3 कुल रकबा 0. 7668 हैक्टेयर भुमि स्थित है। प्रार्थी की भूमि के पश्चिम दिशा में आराजी संख्या 1779 किस्म बिलानाम भुमि स्थित है। उक्त भुमि में से प्रार्थी अपनी कृषि भुमि आराजी संख्या, 1778, 1777 में आता जाता है व आराजी संख्या 1779 में मुख्य रोड राजसमंद से केलवाडा स्थित होकर उक्त सडक सदीप से यहीं से गुजर रही है व मौके पर पक्की डामरीकृत सडक के रूप में बनी हुई है। उक्त रोड से सटमा प्रार्थी की भुमि स्थित है। प्रार्थी की भुमि आराजी संख्या 1778 के उत्तर दिशा में आराजी संख्या 1780 किस्म रास्ता दर्ज है एवं पश्चिम दिशा में आराजी संख्या 1779 किस्म बिलानाम भुमि स्थित है जिसमें उक्त रोड बनी होकर प्रार्थी की भुमि के सटमा स्थित है लेकिन राजस्व रिकार्ड में मौके पर रोड का इन्द्राज नहीं होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिस कारण से प्रार्थी अपनी भुमि का सही रूप से उपयोग उपभोग नहीं कर पा रहा है। मौके पर अवस्थित रोड को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर तरमीम हेतु उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हैं। सेटलमेंट के पूर्व व पश्चात् राजस्व रिकार्ड में आराजी संख्या 1779 प्रार्थी की भुमि आराजी संख्या 1777 व 1778 के सटमा अवस्थित है लेकिन वर्तमान में ऑनलाईन तरमीम एजेन्सी ने पुराने नक्शे के अनुसार तरमीम नहीं कर अपनी मनमर्जी से गलत तरमीम कर नक्शे का सही मिलान नहीं करने से आराजी नम्बर आगे पीछे होने की वजह से ऑनलाईन ट्रेस में आराजी संख्या 1579 जो कि मौके पर अन्य जगह स्थित है लेकिन उक्त भुमि को आराजी संख्या 1779 में तरमीम कर दिया है जिसे पुराने नक्शे के अनुसार दुरुस्त कर इन्द्राज दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। आराजी संख्या 1779 में वर्णित रोड को मौके पर अवस्थित है उसके अनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करने एवं जो मुख्य रोड राजसमन्द से केलवाडा मौके पर अवस्थित है उस अनुसार तरमीम कर पुराने नक्शे के अनुसार इन्द्राज दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। जिसके लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। आराजी संख्या 1779 प्रार्थी की भुमि आराजी संख्या 1778 के सटमा होकर आराजी संख्या 1779 के कुछ भाग का प्रार्थी रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग कर रहा है। उक्त भुमि को रास्ते के रूप में दर्ज किया जाना आवश्यक है जिसके लिए प्रार्थी राजस्थान सरकार के गजट नोटिफिकेशन एवं जारी परिपत्र के अनुसार डी एल सी की दुगुनी राशि या जितनी भुमि रास्ते के रूप में दर्ज की जाती है उतनी भुमि अपनी खातेदारी भुमि में से सरेण्डर कर बिलानाम सरकार दर्ज कराने

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

Scanned with ACE Scanner

हेतु विचार है। जिसके लिए भी प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे व प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात किस्म 1779 में अंकित रोड़ का वर्तमान स्थिति के अनुसार राजस्व रिकार्ड में तरमीम कर इन्द्राज दुरुस्त करने का आदेश फरमाया जावे एवं आराजी संख्या 1779 की जो भी सड़क के रूप में होकर प्रार्थी रास्ते के रूप में उपयोग कर रहा है उसे राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे। साथ ही आराजी संख्या 1779 एवं प्रार्थी की भूमि आराजी संख्या 1777 एवं आराजी संख्या 1579 पुराने नक्शे के अनुसार तरमीम कर पूर्ववत स्थिति में दर्ज करने के आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सम्मन जारी किये गये। जो बाद तामिल प्राप्त होने से शामिल पत्रावली किये गए।

प्रकरण में विपक्षी तहसीलदार राजसमन्द द्वारा दिनांक 02.08.2024 को जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें यह अंकित किया गया कि आ.नं. 1777, 1778 व 3080/1575 ग्राम सालोल में खाता न. 213 पर प्रार्थी नीलेश कुमार पुत्र नाथू लाल खटीक सा. कुम्भलगढ़ के नाम पर दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि के पश्चिम दिशा में सटमा आ.नं. 1779 स्थित है, जिसमें से राजसमन्द से केलवाड़ा जाने वाली MDR सड़क गुजर रही है, परन्तु वर्तमान सेटीगेशन के बाद वाले नक्शे में उक्त आ. नं. 1779 को खण्डित कर आ. नं. 1579 को गलत अंकित कर दिया गया है। आ. नं. 1779 में मौके पर रोड बना है जो पुठोल की तरफ से आकर आ. नं. 1563 किस्म रास्ता में स्थित होकर आ. नं. 3068/1574 व 3067/1574 में से होता हुआ आ. नं. 1780 किस्म रास्ता से जुड़ता हुआ आगे केलवाड़ा की तरफ जा रहा है। उक्त सड़क आ. नं. 3068/1574, 3067/1574 एवं 1779 में राजस्व नक्शे व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। राजस्व ग्राम सालोल के सेटीगेशन से पूर्व के नक्शे एवं सेटीगेशन के पश्चात वर्तमान नक्शे की जाँच की गई तो जाहिर आया कि पूर्व के नक्शे में अंकित खसरा नं. 1577, 1578, 1579 का अंकन वर्तमान नक्शे में गलत जगह अंकित कर दिया गया है। आ. नं. 1577 व 1578 वास्तविक रूप में आ. नं. 1568, 1569 के सटमा दक्षिण दिशा में होना चाहिए, जबकि वर्तमान में उक्त स्थान को रिक्त छोड़ दिया गया है एवं आ. नं. 1627 में शामिल कर दिया गया है, इसी प्रकार आ. नं. 1579 किस्म रास्ते की आराजी भी आ. नं. 1627 किस्म रास्ते में ही शामिल कर दी गयी है अर्थात आ. नं. 1577, 1578 व 1579 को आ.नं. 1627 में यथास्थान पूर्व के नक्शे अनुसार दर्ज किया जाना उचित होगा एवं वर्तमान नक्शे में आ. नं. 1777 को खण्डित कर उसमें आ. नं. 1577 को गलत अंकित किया गया है तथा आ. नं. 1779 को भी खण्डित कर उसमें आ. नं. 1578 व 1579 का गलत अंकन कर दिया गया है जिसे धारा 136 के तहत सही किया जाना उचित है। मौके पर आ. नं. 1627, 1579, 1563, 3068/1574, 3067/1574 व 1779 में से होकर PWD द्वारा निर्मित सड़क राजसमन्द से केलवाड़ा गुजर रही है जो आ. नं. 1778 के उत्तरी पश्चिमी कोने से छूती हुई आ. नं. 1780 किस्म रास्ता के दक्षिणी पूर्वी कोने से लगती हुई आगे केलवाड़ा की तरफ जा रही है, उक्त सड़क मार्ग का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं है जिसे धारा 131 के अन्तर्गत दर्ज किया जाना उचित है। अतः LR Act धारा 136 के तहत प्रस्तावित राजस्व नक्शे अनुसार व LR Act धारा 131 के अन्तर्गत PWD द्वारा निर्मित सड़क मार्ग को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना उचित है।

प्रकरण में न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान की उपस्थिति में दिनांक 20.12.2024 को तहसीलदार राजसमन्द से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिससे यह तथ्य प्रकट आया कि रिपोर्ट में राजसमन्द से केलवाड़ा जाने वाली MDR सड़क की तरमीम मौके अनुसार आ. नं. 3068/1574, 3067/1574 एवं 1779 में किया जाना उचित बताया गया है किन्तु सड़क की उक्त तरमीम हेतु रिपोर्ट के साथ संलग्न प्रस्तावित नक्शा ट्रेस में आ. नं. 3068/1574, 3067/1574, 1779 के अतिरिक्त आराजी नम्बर 1574/1 में भी सड़क की तरमीम प्रस्तावित की गई है, जबकि आराजी संख्या 1574/1 के सम्बन्ध में रिपोर्ट में कोई उल्लेख नहीं किया गया, साथ ही किस आराजी में से कितना क्षेत्रफल सड़क में दर्ज होगा एवं कितना क्षेत्रफल यथावत शेष रहेगा इस का भी उल्लेख नहीं किया गया, जिससे तहसीलदार राजसमन्द को दिनांक 26.12.2024 को पत्र जारी कर इस सम्बन्ध में पुनः रिपोर्ट तलब की गई।

दिनांक 16.01.2025 को तहसीलदार राजसमन्द द्वारा पुनः जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जिसमें ग्राम सालोल की जमाबन्दी में आराजी संख्या 1574/1 विद्यमान नहीं होने से एवं राजस्व नक्शे में उक्त

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

Scanned with ACE Scanner

आराजी का गलत अंकन हो जाने से जमाबन्दी एवं राजस्व नक्शे की वन टू वन मैपिंग हेतु राजस्व नक्शे से उक्त आराजी को हटाया जाना उचित बताया गया। साथ ही आराजी संख्या 3068/1574 के कुल क्षेत्रफल 1.1241 हे. में से 0.1421 हे. सडक में जाना एवं क्रमशः 0.0518 हे. एवं 0.9302 हे. क्षेत्रफल शेष रहना एवं आराजी 3067/1574 के कुल क्षेत्रफल 0.0252 हे. में से 0.0056 हे. सडक में जाना एवं क्रमशः 0.0008 हे. एवं 0.0188 हे. क्षेत्रफल शेष रहना तथा आराजी 1779 के कुल क्षेत्रफल 0.2590 हे. में से 0.0476 हे. सडक में जाना एवं क्रमशः 0.0312 हे. एवं 0.1802 हे. क्षेत्रफल शेष रहना अपनी रिपोर्ट में बताया गया।

आज दिनांक को प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार को सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार तरमीम करवाये जाने का निवेदन किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा भी तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार तरमीम किया जाना उचित बताया गया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया जाकर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। तहसीलदार राजसमन्द की जांच रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत वर्तमान अशुद्ध नक्शा ट्रेस एवं सेग्रीगेशन पूर्व की लट्ठा शीट से तैयार नक्शा ट्रेस के अवलोकन से आराजी संख्या 1577, 1578 1579 का अंकन वर्तमान नक्शे में त्रुटिपूर्ण होना साबित होता है। जिससे न्यायालय का मत है कि तहसीलदार राजसमन्द द्वारा प्रस्तावित अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शे में तरमिम किया जाना उचित है। तहसीलदार राजसमन्द की रिपोर्ट अनुसार राजसमन्द से केलबाडा जाने वाली MDR सडक के मौके पर आराजी संख्या 3068/1574, 3067/1574 एवं 1779 में स्थित होने एवं राजस्व नक्शे में सडक पैमुद नहीं होने से तहसीलदार राजसमन्द द्वारा प्रस्तावित अनुसार सडक पैमुद कर तरमीम किया जाना उचित है, तथा आराजी संख्या 1574/1 ग्राम सापोल की जमाबन्दी में विद्यमान नही होकर राजस्व नक्शे में गलत अंकित हो जाने से उक्त आराजी संख्या 1574/1 को राजस्व नक्शे से हटाया जाना भी उचित एवं आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में आराजी संख्या 1779 में से कुछ भूमि रास्ते के रूप में उपयोग किये जाने से उक्त भूमि को रास्ते के रूप में दर्ज कराने हेतु निवेदन किया गया है, किन्तु धारा 131 एवं 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत नवीन रास्ता उपलब्ध कराये जाने का कोई प्रावधान नहीं हैं जिससे प्रार्थी के उपयोग हेतु आराजी संख्या 1779 में अन्य कोई रास्ता दिया जाना/दर्ज किया जाना न्यायोचित नहीं है।

<u>आदेश</u>

अतः तहसीलदार राजसमन्द की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रस्तावित संशोधित नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व ग्राम सापोल की आराजी संख्या 1577, 1578, 1579 की अपने सही स्थान पर तरमीम करते हुए आराजी संख्या 1777, 1778, 1779 की सही तरमीम कर राजस्व नक्शे को शुद्ध किया जाने का आदेश दिया जाता है साथ ही राजसमन्द से केलवाडा जाने वाली MDR सडक को तहसीलदार राजसमन्द द्वारा प्रस्तावित अनुसार आराजी संख्या 3068/1574, 3067/1574 एवं 1779 में पैमुद करने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार राजसमन्द पालना कर पालना रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार राजसमन्द को निर्णय की प्रति मय प्रस्तावित संशोधित नक्शा ट्रेस पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कमी की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

बृजेश गुप्ता (R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द

उक्त आदेश आज दिनांक 28.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की गोल मोहर से जारी किया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
राजसमन्द